अब पुलिस को गिरफ्तारी पर व्यक्ति को कारण बताना होगा अनिवार्य

- **एएसपी ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर विवेचकों को दिये निर्देश**

डेली न्यूज नेटवर्क

श्रावस्ती। अब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को गिरफ्तारी के कारण व आधार की जानकारी ब्यक्ति को लिखित रूप् से देना अनिवार्य होगां। जिस भाषा क्षेत्र का ब्यक्ति है। उसे उसी भाषा में जानकारी देनी पड़ेगीं। इस तरह के आदेश देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुलिस व अधिकारियों को दिये हैं। इस आदेशों के क्रम में श्रावस्ती के अपर पुलिस अधीक्षक चन्द्र केश सिंह ने एक कार्यशाला आयोजित कर जिले की पुलिस व विवेचकों का अवगत करायां। जनपद मुख्यालय भिनगा स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में एक कार्यशाला आयोजित की गयीं ।इस कार्यशाला में जिले भर से आये पुलिस अधिकारी व विवेचकों को अवगत कराते हुए अपर पुलिस अधीक्षक चन्द्र केश सिंह ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारण व आधार से अवगत कराये जाने के निर्दश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में समस्त विवेचको तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों को गिरफ्तारी मेमो में गिरफ्तारी के कारण व आधार अकित करना अनिवार्य होगां। पुलिस को गिरफ्तार किये गये ब्यक्ति उसकी समझ में आने वाली भाषा में लिखित रूप से गिरफ्तारी के कारण देने होगें । सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के अपर पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिये हैं।

सभागार में एएसपी के साथ मौजूद विवेचक व पर्यवेक्षण अधिकारी गण